

विदेश यात्रा और विदेशी हस्तक्षेप

विदेश यात्रा करते समय कुछ लोगों को विदेशी अधिकारियों और सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त जांच के माध्यम से विदेशी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ सकता है।

यह याद रखना ज़रूरी है कि अधिकांश यात्रियों को इसका अनुभव नहीं होता, और यह कि सीमाओं पर जांच पूरे विश्व भर में सामान्य बात है, प्रायः यह सामान्य जांच होती है और विदेशी हस्तक्षेप से संबंधित नहीं होती।

विदेशी हस्तक्षेप से संबंधित अतिरिक्त जांच के दायरे में आ सकने वाले लोगों में निम्न शामिल हैं:

- न्यूज़ीलैंड में जिन लोगों को लक्ष्य बनाया गया हो
- असहमतिपूर्ण विचारों या विदेशी देशों की आलोचना करने के लिए ज्ञात सामुदायिक सदस्य
- सामुदायिक नेता, अधिवक्ता और कार्यकर्ता
- पारिवारिक, सामुदायिक या व्यावसायिक कारणों से यात्रा करने वाले सामुदायिक सदस्य
- समुदाय के वह सदस्य जो न्यूज़ीलैंड सरकार, स्थानीय सरकारी परिषदों के लिए काम करते हैं या न्यूज़ीलैंड में निर्वाचित प्राधिकारी हैं।
- महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, शिक्षा, मीडिया आदि प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करने वाले सामुदायिक सदस्य
- पूर्व शरणार्थी।

देश के आधार पर लोगों को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि:

- स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा **अनावश्यक पूछताछ किया जाना**, जैसे कि यात्रा का ब्यौरा, गतिविधियों, या संपर्कों के बारे में
- **प्रवेश या निकास** से मना किया जाना, जैसे कि उड़ानों में चढ़ने से मना किया जाना या सीमा चौकियों पर प्रवेश से मना किया जाना
- **यात्रा या वीज़ा प्रतिबंध लगाया जाना** जिसमें देश के भीतर आवागमन को सीमित करना भी शामिल है
- फोन, लैपटॉप या दूसरे उपकरणों सहित **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तलाशी लेना**, जिसमें निजी जानकारी या संचार तक पहुँच शामिल हो सकती है
- **पहुँचने के बाद लक्षित निगरानी, हिरासत या कारावास**, जिसमें औपचारिक कानूनी कार्यवाही भी शामिल हो सकती है
- स्थानीय अधिकारियों से **अभित्रास, उत्पीड़न या धमकी का सामना करना**
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों या प्राधिकारियों के अलावा **स्थानीय समूहों से भी पूछताछ, उत्पीड़न या अभित्रास का सामना करना।**

न्यूज़ीलैंड कांसुलर सहायता

मिनिस्ट्री ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड (एमएफएटी) अर्थात विदेश मंत्रालय और व्यापार) न्यूज़ीलैंड के बाहर रहने वाले न्यूज़ीलैंड के नागरिकों को कांसुलर सेवाएं प्रदान करता है, चाहे वे सामान्यतया न्यूज़ीलैंड में न रहते हों।

सामान्यतः न्यूज़ीलैंड के स्थायी निवासियों को कांसुलर सहायता नहीं दी जाती है।

विदेश में रहने वाले न्यूज़ीलैंड के लोग दूसरे देश के स्थानीय कानूनों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने या यात्रा पर रोक लगाने के संबंध में भी उस देश के कानून शामिल हैं।

दोहरी नागरिकता

दोहरी नागरिकता रखने से न्यूज़ीलैंड की कांसुलर सहायता देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। दूसरी नागरिकता वाले देश में होने पर, स्थानीय अधिकारी उस व्यक्ति को सिर्फ अपना नागरिक मान सकते हैं और न्यूज़ीलैंड को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दे सकते।

आप सेफ ट्रेवल: [डुअल सिटीजंस एंड परमानेंट रेजिडेन्ट्स](#) पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

शरणार्थी और पूर्व शरणार्थी

अगर आप न्यूज़ीलैंड के बाहर रहने वाले शरणार्थी हैं, तो न्यूज़ीलैंड सरकार आपको बहुत सीमित सहायता दे सकती है।

आप सेफ ट्रेवल: [रिफ्यूजीज एंड फॉर्मर रिफ्यूजीज](#) पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

सेफट्रेवल एनजेड

[सेफट्रेवल एनजेड](#), विदेश में यात्रा करने या रहने वाले न्यूज़ीलैंड के लोगों के लिए एमएफएटी (MFAT) की आधिकारिक वेबसाइट है, जो यात्रा सलाह, कांसुलर सेवाएं, सुरक्षा सुझाव और यात्रियों के लिए एक पंजीकरण प्रणाली प्रदान करती है।

विदेश जाने से पहले यात्रियों को [सेफट्रेवल न्यूज़ीलैंड](#) पर **पंजीकरण करना** चाहिए। इससे एमएफएटी (MFAT) को समय पर अपडेट देने, आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों से संपर्क करने और यथासंभव सहायता प्रदान करने में मदद मिलती है।